जेंडर जागरूकता एवं शिक्षा : बदलते संदर्भ

डॉ. सविता राय
एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षापीठ, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, भारत
Correspondence Author: डॉ. सविता राय
Received 17 Feb 2026; Accepted 2 Apr 2026; Published 24 Apr 2026
DOI: https://doi.org/10.64171/JSRD.5.2.52-59

Abstract
जेंडर आधारित असमानता समाज के प्रायः सभी क्षेत्रों में कई रूपों में दिखायी देती है। सामाजिक रूढ़िवादी सोच, घरेलू तथा समाजिक स्तर पर स्त्रियों के साथ होने वाली हिंसा तथा अधिकार क्षेत्र में इनके साथ किया जाने वाला भेदभावपूर्ण व्यवहार इत्यादि के कारण स्त्रियों की स्थिति विगत् कुछ दशकों से अत्यन्त दयनीय हो गयी थी। बदलते सामाजिक संदर्भों के साथ स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन भी अत्यन्त आवश्यक रहा जो समय के साथ दृष्टिगत होता है। समाज में जेण्डर समानता के लिए शिक्षा, शिक्षकों एवं अभिभावकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन के साथ ही सामाजिक व्यवस्थाओं तथा मानदण्डों में परिवर्तन भी अत्यन्त आवश्यक माना गया है। स्त्रियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता है। इनके प्रति होने वाले भेदभाव, अत्याचार तथा पारिवारिक एवं सामाजिक हिंसा को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि समाज को जागरूक किया जाये। स्त्री को मानव के रूप में स्वीकृति देना आज के समाज की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रस्तुत पत्र समाज में जेंडर जागरूकता की आवश्यकता तथा शिक्षा द्वारा इस आवश्यकता की पूर्ति के प्रयास तथा प्रयास के फलस्वरूप पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों पर केन्द्रित है।

Keywords: जेंडर, जागरूकता, सशक्तीकरण, जेंडर सशक्तीकरण, जेंडर समानता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020, NCF 2023, POSH Act, 2013

प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र या समाज के विकास में समाज के सभी वर्गों की समान भूमिका होती है चाहे वह स्त्री हो पुरुष। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि सृष्टि के संचालन में इन दोनों का ही योगदान आवश्यक है। अतः किसी की श्रेष्ठता या हीनता का प्रश्न ही नहीं उठता। हम अपने समाज में देखते हैं कि प्रायः अधिकांश क्षेत्रें में पुरुषों का अधिपत्य है। इसका कारण कुछ भी हो परन्तु इस अधिपत्य का प्रतिफल ही पुरुष प्रधान समाज है। समाज स्त्री एवं पुरुषों के कार्यों व दायित्वों का बंटवारा है जो वस्तुतः उनकी शारीरिक संरचना के स्थान पर उनकी ताकत व अधिपत्य को ध्यान में रखकर किया गया है। यह बंटवारा ही जेंडर शब्द की उत्पत्ति को स्पष्ट करता है क्योंकि इसका संबंध समाज द्वारा निर्मित उन दायित्वों से है जिन्हें नियम भी कहा जा सकता है। इन नियमों के द्वारा ही सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रें में असमानताओं को तार्किक व समाज के लिये उचित सिद्ध करने का प्रयास किया जाता रहा है। परन्तु समाज की बदलती आवश्यकताओं एवं जीवनशैली ने जेंडर रूढ़िवादिता के आवरण को उतारना प्रारंभ कर दिया है। अभी प्रारंभ हुआ है यात्रा बहुत लंबी है क्योंकि सदियों की बेड़ियों को तोड़ने में सदियां ही लगेगीं, समाज की विचारधारा को बदलना एक बड़ी चुनौती है।

जेंडरः एक सामाजिक निर्मिति

हमारा समाज गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार एवं हिंसा इत्यादि से तो जूझ ही रहा है और इन समस्याओं के विरूद्ध युद्ध आरंभ है। परन्तु वर्तमान में जो विकट समस्याएं हमारे समाज में पैदा हो रही है वे हैं महिला सशक्तीकरण के नाम पर टूटते बिखरते परिवार, दिन-प्रतिदिन महानगरों में बढ़ रही वृद्धाश्रमों की संख्या, बढ़ती हिंसा, तकनीकी आधारित जीवन एवं सामाजिक संबंधों में समाप्त हो रही मधुरता, सहयोग एवं सद्भाव। सामाजिक एवं मानसिक दोनों ही क्षेत्रें में अवनति की स्थिति उत्पन्न हो रही है। समाज विनाश के बिन्दु पर खड़ा है। स्त्रियों की सुरक्षा का विषय हमारे समाज की ज्वलन्त समस्या है। ऐसा नहीं है कि स्त्री अस्मिता की रक्षा संबंधी समस्या यह हमारे समाज के लिए कोई नई समस्या है यह तो सीता, द्रौपदी, अम्बा के काल से हमारे समाज में विद्यमान है परन्तु आज यह व्यापक एवं वीभत्स हो चुकी है। वर्तमान समाज में स्त्रियां स्वयं को सुरक्षित अनुभव नहीं कर रही हैं। प्रायः भारत के अधिकांश प्रदेशों से स्त्रियों के शारीरिक अथवा मानसिक उत्पीड़न संबंधी खबरें सुनने को मिलती हैं। इस संदर्भ में हमें पुस्तकों के पृष्ठों एवं संगोष्ठी कक्षों से बाहर आकर अपने समाज में स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं आदर युक्त व्यावहारिक दृष्टिकोण को विकसित करने की आवश्यकता है।

जैसे-जैसे समाज परिवर्तित हो रहा है कुछ नये मानदंड विकसित होते जा रहें हैं। इन मानदंडों पर स्वयं को खरा सिद्ध करने के लिए स्त्रियों ने भी अथक प्रयास करना प्रारंभ कर दिया है और समाज का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। परन्तु कहीं न कहीं इनकी स्थिति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। बृहत्पराशर (6.56) में वर्णित इस शिक्षा को आज व्यापक स्तर पर प्रसारित करने की आवश्यकता है कि- 'नापमान्याः स्त्रियः सद्भि' अर्थात् सज्जन व्यक्तियों को स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति (8.359) में भी वर्णित है कि 'चतुर्णामपि वर्णानां दाराः रक्ष्यतमाः सदा' अर्थात् स्त्री चाहे किसी भी वर्ण की हो वह सदा रक्षणीय होती है। महाभारत के अनुशासन पर्व में बलपूर्वक स्त्री के शीलहरण को पापकर्म मानते हुए कहा गया है कि-

वश्यां कुमारी बलतो ये तां समुपभुञ्जते।
एते पापस्य कर्तारस्तमस्यन्धे च शेरते।।

(महा. अनुशासन पर्व, 45.22)

मनुस्मृति में स्त्रियों के प्रति हो रहे पापकर्म के लिए दण्ड का विधान इस प्रकार वर्णित किया गया है-

अभिषह्य तु यः कन्यां कुर्याद्दर्पेण मानवः
तस्याशु कर्त्या अंगुल्यो दण्डं चार्हति षट्शतम्।

(मनु., 8.359)

अर्थात् स्त्री का अपमान करने वाले व्यक्ति की अंगुलियां काट देनी चाहिए एवं छः सौ मुद्राओं का दण्ड दिया जाना चाहिए। आज स्त्रियों का अपमान करने वाले के लिए उचित दण्ड विधान सुनिश्चित करने की मांग हो रही है। इस संदर्भ में हमारे विधि निर्माताओं को केवल पाश्चात्य प्रावधानों या पाश्चात्य कानून की पुस्तकों तक ही स्वयं को सीमित न रखकर अपने समृद्ध भारतीय साहित्य का भी अवलोकन करना चाहिए। इस बिन्दु के अन्तर्गत चर्चित विषय ऐसे हैं जो न केवल सामान्य शिक्षा में अन्तर्विषयी विषय के रूप में महत्वपूर्ण सिद्ध होगें अपितु विधि अर्थात् कानूनी शिक्षा के अन्तर्गत भी इनको समाहित करने पर विचार किया जा सकता है। मनुस्मृति (9.3) में वर्णित पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति के सही अर्थ को न समझकर कभी-कभी तो स्त्री की स्वतन्त्रता पर ही बेड़ी लगाने को प्रयास किया जाता है।

विश्व के सभी समाजों में प्रायः पुरुष वर्ग का ही अधिपत्य विद्यमान है, अन्य जेंडर के लोगों की स्थिति निम्न बनी हुई है। उनकी शैक्षिक-सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति दयनीय बनी हुई है। समाज ने संस्कृति एवं परम्पराओं की रूढ़िवादिता को थोपकर अन्य जेंडर के लोगों विशेषकर स्त्रियों को एक विशेष भूमिका में बांध दिया है। जेंडर अपने आप में कोई जैविक अर्थ नहीं रखता अपितु सदियों की गढ़ी हुई भूमिकाओं, दायित्वों तथा कर्तव्यों को बोध कराने वाला एक शब्द मात्र है।

जेंडर एक पाश्चात्य शब्द है जिसका समानार्थक शब्द भारतीय शब्दकोष में नहीं मिलता। अतः लिंग एवं जेंडर के अर्थ के संदर्भ में स्थिति बहुत भ्रामक है। जेंडर समाज द्वारा बनायी गयी ऐसी परिधि है जिसका व्यक्ति के जन्म से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। समाज ने व्यक्तियों के व्यवहार, उत्तरदायित्व, कर्त्तव्य इत्यादि को पुरुषोचित्त एवं स्त्रियोचित्त परिधि में विभाजित कर दिया है और उनके लिए अलग-अलग भूमिकाएं निर्धारित कर दी हैं। समाज द्वारा पुरुष एवं स्त्री के लिए पुरुषोचित्त एवं स्त्रियोचित्त गुणों को निर्धारित कर उन्हें पुरुष एवं स्त्री में बदल दिया गया है। जेंडर की असमानता किसी जैविक भिन्नता से निर्धारित नहीं होती अपितु संस्कृति के द्वारा उत्पन्न होती है। जेंडर संप्रत्यय लैंगिक पहचान से संबंधित है जिसे समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति के अन्दर डाला जाता है। जेंडर संबंधी जो अवधारणायें बच्चें के व्यवहार या विचारधारा में पुष्पित व पल्लवित होती हैं वो समाजीकरण की प्रक्रिया का परिणाम होती हैं। जेंडर संबंधी जो अवधारणायें समाज में व्याप्त होती है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के व्यवहार में स्वतः ही समाहित हो जाती हैं। एक शिशु या बच्चा अपने परिवार से, एक बालक या बालिका अपने परिवार व समूह से, एक किशोर या किशोरी अपने परिवार, मित्र, विद्यालय व समाज से इन परंपरागत अवधारणाओं, गुणों, अधिकारों तथा कर्त्तव्यों को स्वतः ही ग्रहण कर एक स्त्री या पुरुष के रूप में पुनः अपनी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। यह प्रक्रिया औपचारिक व अनौपचारिक दोनों ही रूपों में संपादित होती है।

स्त्रीवादी चिंतक और विचारक सिमोन द बोवुआर ने अपनी पुस्तक 'दी सेकेण्ड सेक्स'(1949) में कहा है कि 'स्त्री पैदा नहीं होती बना दी जाती है', उनका यह कथन जेंडर के संप्रत्यय को उचित ढंग से स्पष्ट करता है। सुप्रसिद्ध नारीवादी चिंतक तथा लेखिका कमला भसीन ने अपनी पुस्तक अंडरस्टेंडिग जेंडर में कहा है कि- ''जेंडर सामाजिक सांस्कृतिक रूप में स्त्री व पुरुषों को दी गयी परिभाषा है जिसके माध्यम से समाज उन्हें स्त्री और पुरुष दोनों की सामाजिक भूमिकाओं में विभाजित करता है।''

जॉन स्टूवर्ट मिल ने अपनी पुस्तक 'द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन' (The Subjection of Women 1873) में स्त्री व पुरुष के जीवन के विविध पक्षों का वर्णन किया है। लिंग के आधार पर स्त्री के साथ उसकी आकांक्षाओं, संवेगों, इच्छाओं तथा क्षमताओं के साथ किसी प्रकार की असमानता अथवा भेदभाव न हो, लड़कों के समान ही लड़कियों के समक्ष भी कोई सीमा रेखा न हो कि मैं लड़की हूँ इसलिए मुझे यह काम नहीं करना चाहिए। इस सीमा रेखा की अनुपस्थिति में ही स्त्री वास्तविक स्वतन्त्रता का उपयोग कर सकती है। जॉन स्टूवर्ट मिल इस बात का समर्थन करते हैं कि प्रचलित कानूनी व्यवस्था स्त्री व पुरुष के बीच भेदभाव की धारणा पर आधारित है। वर्ष 1873 अर्थात् करीब डेढ़ सौ साल पहले लिखी यह पुस्तक 21वीं सदी में भी स्त्री व पुरुष के बीच असमानता की स्थिति को चिन्हित करती बहुत सारे मुद्दों को हमारे समक्ष दृढ़ता से प्रस्तुत करती है। उनके अनुसार महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार मिलने चाहिए। महिलाओं की अधीन स्थिति प्राकृतिक नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था का परिणाम है। शिक्षा और कानून के माध्यम से स्त्री-पुरुष समानता स्थापित की जा सकती है।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जेंडर सामाजिक सांस्कृतिक सोच या विचारधारा है जिसे स्त्री या पुरुष के गुणों या कर्त्तव्यो के रूप में निर्धारित किया गया है। ये गुण या कर्त्तव्य देश-काल, परिस्थिति, परिवार व समाज व संदर्भों के अनुसार बदलते रहते हैं।

जेंडर जागरूकता एवं समाज

जेंडर जागरूकता से तात्पर्य परंपरा से अपने एवं दूसरों के संबध में प्राप्त रूढ़ियों को दूर करते हुए दूसरे जेंडर के प्रति समान अनुभूति एवं संवेदनशीलता स्वयं के मनस में जागृत करना है। यह जागरूकता व्यक्ति को संवेदित कर उसकी अभिवृत्ति एवं विश्वास में परिवर्तन कर उसे वास्तविकता का परिशीलन करने के योग्य बनाती है। अन्य जेंडर के प्रति व्यक्ति की जागरूकता एक जेंडर को दूसरे जेंडर की समस्याओं, आवश्यकताओं एवं क्षमताओं को पहचानते हुए उसे समझने तथा उसकी समस्याओं के समाधान में उसकी सहायता कर विकास की धारा में उसे सम्मिलित करने के दृष्टिकोण से संबंधित है। यह व्यक्ति में लिंग से परे जाकर एक-दूसरे के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने का प्रयास है। जेंडर संवेदीकृत कर समाज के सभी वर्गों के लोगों को समाज में रह रहे न केवल स्त्री वर्ग के प्रति अपितु अन्य जेंडर के लोगों के प्रति भी संवेदित करना जेंडर जागरूकता की परिधि में आता है परन्तु प्रायः इसके अन्तर्गत स्त्रियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण को संवेदीकृत करना ही मुख्य ध्येय रहा है। जेंडर जागरूकता की स्थिति जेंडर समानता का मार्ग प्रशस्त करती है और इस मार्ग से जेंडर सशक्तीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति होती है जिससे समाज में व्याप्त अशिक्षा, असमानता, भेदभाव, को दूर करते हुए शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास को प्राप्त किया जा सकता है।

जेंडर जागरूकता: जेंडर समानता एवं जेंडर सशक्तीकरण

जेंडर समानता

संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास (SDG) के 17 लक्ष्यों में से 5वां लक्ष्य जेंडर समानता का है जिसमें कहा गया है लैंगिक समानता न केवल एक मौलिक मानव अधिकार है, बल्कि एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और टिकाऊ दुनिया के लिए एक आवश्यक आधार है। पिछले दशकों में प्रगति हुई है, लेकिन दुनिया 2030 तक लैंगिक समानता हासिल करने की राह पर नहीं है (*चित्र*-1)।

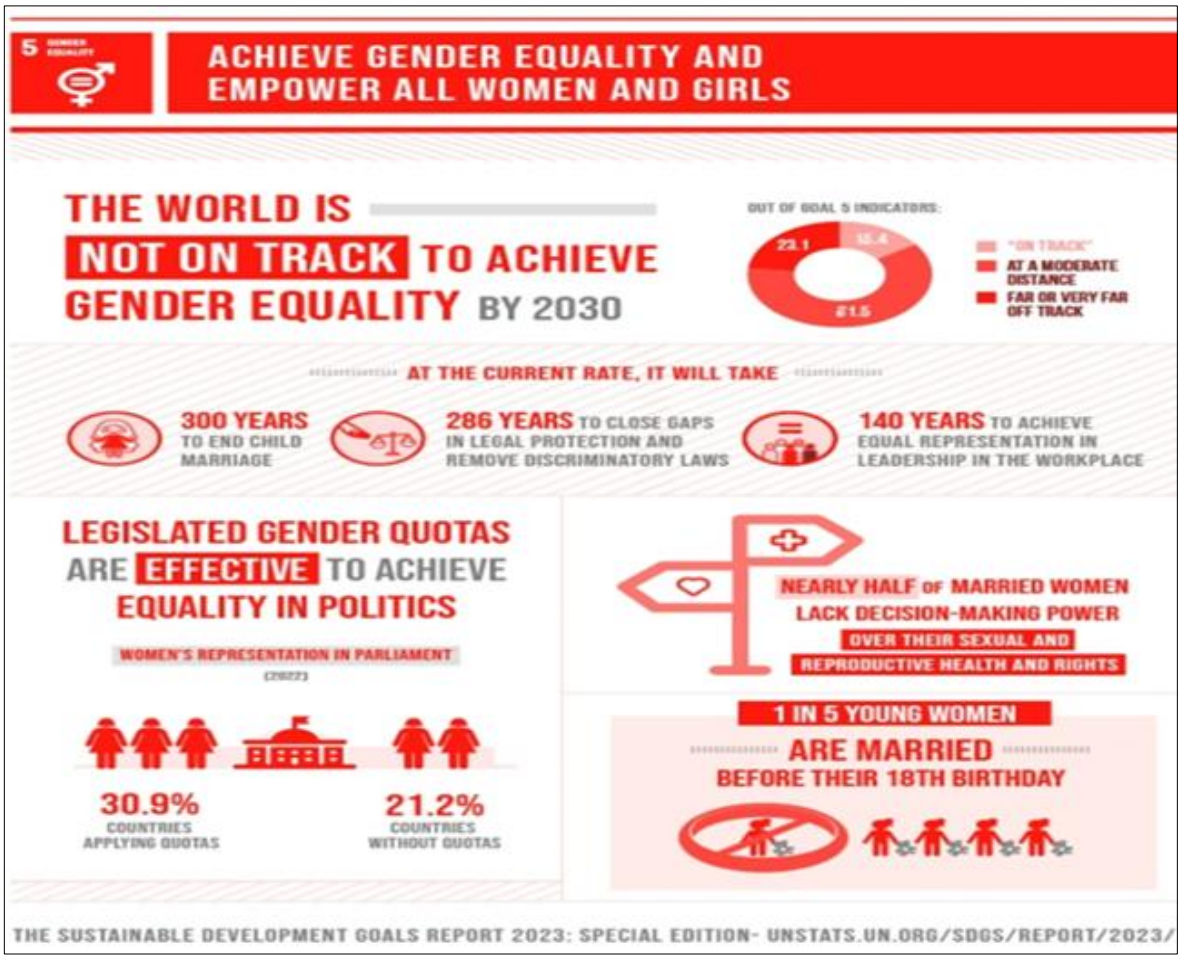

स्रोत- https://sdgs.un.org/goals/goal5#overview

चित्र 1: सतत विकास लक्ष्य प्रतिवेदन-2023

संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women) के अनुसार, जेंडर समानता का तात्पर्य स्त्रियों और पुरुषों, बालक और बालिकाओं को समान अधिकार, उत्तरदायित्व और अवसर प्राप्त होना है। जेंडर समानता का अर्थ यह नहीं है कि स्त्री और पुरुष एक ही तरह के कार्य करेंगें अपितु, इसका तात्पर्य है कि स्त्री और पुरुष दोनों को उनकी योग्यता, क्षमता के अनुसार उचित एवं समान अवसर दिये जायेंगें उनके साथ लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा।

यदि भारत में स्त्रियों की स्थिति का वैश्विक दृष्टि से विश्लेषण करें तो विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट का उल्लेख अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्ष 2006 से प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाने वाली यह रिपोर्ट लैंगिक समानता के आकलन के लिये सबसे पुराना वैश्विक सूचकांक है, जो चार प्रमुख आयामों- आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षणिक उपलब्धि,स्वास्थ्य और उत्तरजीविता तथा राजनीतिक सशक्तीकरण के आधार पर देशों द्वारा लैंगिक अन्तराल को कम करने की दिशा में हो रही प्रगति को मापती है। भारत के संदर्भ में यदि देखा जाये तो यह रिपोर्ट दिखाती है कि 2025 में भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर रहा, जो वर्ष 2024 के 129वें स्थान से नीचे है और इसका लैंगिक समानता स्कोर 64.1% रहा।

जेंडर सशक्तीकरण

एक अवधारणा के रूप में सशक्तीकरण का उद्भव ब्राजील के शिक्षाविद् और मानवतावादी विचारक फीयर(1973) के लेखों से माना जाता है जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से वंचित वर्ग के व्यक्तियों की मुक्ति की योजना प्रस्तुत की। किसी व्यक्ति, समुदाय, वर्ग या संगठन को शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा मानसिक रूप से सुदृढ़ करना, उसकी स्थिति में सुधार करना तथा उसे सबल बनाना ही सशक्तीकरण है। सशक्तीकरण शब्द को सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संदर्भों में अलग-अलग ढंग ये परिभाषित किया जा सकता है। सशक्तीकरण शब्द अपने आप में आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की योग्यता, गरिमामय जीवन जीने का अधिकार व स्वतन्त्रता, अपने अधिकारों के प्रति सजगता इत्यादि को समाहित करता है। अतः कहा जा सकता है कि सशक्तीकरण का तात्पर्य अपने जीवन को स्वयं नियंत्रित करना, अपने अधिकारों को पहचानना और उनके लिये सजग रहना, स्वयं निर्णय लेने की स्वतन्त्रता, स्वयं को शक्तिहीनता की भावना से मुक्त रखना, आत्मनिर्भर बनना व परिस्थिति विशेष में दिये गये दायित्वों को संभालने में सक्षम होने की अवस्था है। सशक्तीकरण की यह स्थिति सामाजिक व आर्थिक दशा में सुधार से संबंधित है।

जेंडर सशक्तीकरण और जेंडर समानता की अवधारणाएं परस्पर संबंधित और एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जेंडर सशक्तीकरण को बढ़ावा देना जेंडर समानता सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। परन्तु इन दोनों के प्रति समाज के दृष्टिकोण को परिवर्तित करना सबसे बड़ी समस्या है। यही कारण है कि न केवल शिक्षा व्यवस्था में अपितु प्रत्येक सामाजिक संस्था चाहे वह परिवार हो, विद्यालय हो, धार्मिक स्थल हो अथवा कार्यस्थल हों, जेंडर जागरूकता अथवा जागरूकता की ओर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

जेंडर जागरूकता एवं शिक्षा

समाज व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर जेंडर जागरूकता से संबंधित प्रयास के द्वारा स्त्रियों को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है परन्तु स्त्री सशक्तीकरण के अन्तर्गत जेंडर आधारित समानताओं को दूर करते हुए स्त्रियों को पुरुषों के समान बनाने या मानने की विचारधारा से समाज में एक नयी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्मित हो रही हैं मानों पुरुषों ने स्त्रियों का सब अधिकार छीन लिया हो और अब सभी स्त्रियों को एकजुट होकर लड़कर इनसे अपने अधिकार छीनने हैं। सशक्तीकरण अधिकारों की लड़ाई नहीं है अपितु परिस्थितियों एवं सामाजिक ढ़ाँचें में सुधार का पर्यायवाची है। सामाजिक ताने-बाने में यदि सूक्ष्म अवलोकन करते हुए परिवर्तन नहीं किया गया तो समाज विकास के स्थान पर विनाश की ओर अग्रसरित होगा। शैक्षिक-आर्थिक-राजनीतिक सशक्तता, निर्णय में भागीदारी, नियंत्रण इत्यादि कुछ आयाम हैं जो जेंडर जागरूकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं तथा समाज के सभी वर्गों को यह समझना होगा कि उपलब्ध सभी संसाधनों तथा अवसरों पर समाज के सभी वर्गों का समान अधिकार है। सामाजिक परिदृश्य को परिवर्तित करने के लिए इन सभी क्षेत्रों में स्त्रियों की पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए और हम देख रहें हैं कि विगत् दो दशकों से स्त्रियों के कार्य क्षेत्रों में वृद्धि के साथ ही समाज के विभिन्न संगठनों तक स्त्रियों की पहुंच बढ़ी है। सामाजिक परिदृश्य या संदर्भ निर्धारित करने में शैक्षिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रतिभागिका के संदर्भ अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षा से स्त्री आर्थिकरूप से सशक्त होती है जो किसी अन्य पर उसकी निर्भरता को समाप्त करता है जिससे वह आत्मसम्मान के साथ समाज में रह पाती है तथा सम्मान प्राप्त करती है। उसकी अपनी स्वयं की पहचान होती है। राजनीतिक प्रतिभागिता तथा पारिवारिक एवं सामुदायिक प्रतिभागिता से उसकी समाज निर्माण में प्रतिभागिता बढ़ती है तथा उसके निर्णयों को स्वीकार्यता मिलती है। परन्तु शिक्षा से वह स्वयं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है, अपने चारों की घटनाओं के प्रति सजग रहती है तथा उनके संबंध में अपना एक मत रखती है जो समाज के विकास में उसकी सशक्त भूमिका को निर्धारित करते हैं जो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकती है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा जेंडर समानता स्थापित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है जिसके माध्यम से शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों सभी को दूसरों के अधिकारों अथवा परिस्थितियों के प्रति संवेदित अथवा जागरूक किया जा सकता है। इसके लिए विभिन्न शिक्षा आयोगों एवं शिक्षा नीतियों द्वारा अनेक संस्तुतियां दी गई जिसका परिणाम यह रहा कि शिक्षा के सभी क्षेत्रों में अनेक स्तर पर इस प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन किये गये जिससे परिस्थितियों को परिवर्तित किया जा सके यथा-

- पाठ्यपुस्तकों में जेंडर संवेदनशील सामग्री का समावेश किया गया साथ ही यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने वाली किसी भी प्रकार की सामग्री पाठ्यपुस्तकों में न हो।
- शिक्षक को जेंडर-संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने पर बल।
- नाटक, चर्चा, कार्यशाला आदि के माध्यम से जागरूकता।
- विद्यालय में सभी विद्यार्थियों को सभी प्रकार की गतिविधियों हेतु समान अवसर प्रदान करना।

शिक्षा जेंडर से संबंधित आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक संदर्भों में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रही है। शिक्षा के माध्यम से स्त्रियों, पुरुषों तथा ट्रांसजेंडर समुदाय तथा परिवार के लोगों में जागरूकता, आत्मविश्वास और अधिकारों के प्रति समझ बढ़ी है, जिससे वे आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के क्षेत्र में अधिक सक्रिय हो रहे हैं। शिक्षा व्यक्तियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा तर्कपूर्ण सोच विकसित कर पारंपरिक लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देती है और समानता, सम्मान तथा विविध जेंडर पहचानों की स्वीकृति को प्रोत्साहित करती है। इसके परिणामस्वरूप समाज में वंचित वर्ग में न केवल स्त्रियों अपितु ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति भी संवेदनशीलता बढ़ रही है और उन्हें शिक्षा, रोजगार तथा सामाजिक जीवन में समान अवसर देने की सोच विकसित हो रही है। शिक्षित अभिभावक समाज की बनायी रूढ़ियों से ऊपर उठकर व्यक्ति की वैयक्तिकता तथा उसकी पहचान को समझने का प्रयास करते हैं जिससे जेंडर विविधता के प्रति समझ बढ़ रही है तथा परिवारों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वीकार्यता तथा उनके अधिकारों का सम्मान करने की प्रवृत्ति विकसित हो रही है। इस प्रकार शिक्षा जेंडर समानता और समावेशन को बढ़ावा देकर अधिक न्यायपूर्ण और संवेदनशील समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उपरोक्त विभिन्न बदलते संदर्भों पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है।

सशक्तीकरण

जेंडर जागरूकता एवं बदलते शैक्षिक संदर्भ

वर्तमान भारतीय समाज में स्त्रियों की भूमिका में व्यापक परिवर्तन हो रहा है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। बदलती परिस्थितियों का प्रमुख कारण शैक्षिक परिस्थितियों में परिवर्तन है। शैक्षिक सशक्तीकरम के साथ ही उनकी परिवर्तित हो रही भूमिकाओं का संबंध उनके समृद्धि, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यक्तिगत विकास और समाज में समानता से भी है। जेंडर आधारित भेदभाव की गहरी जड़ें शिक्षा के क्षेत्र में असमानता का एक प्रमुख कारण हैं। सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ यथा गरीबी एवं स्त्रियों की भूमिकाओं के संबंध में रूढ़िवादिता इत्यादि ने इस इक्कीसवीं सदी में भी स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा है।

- शिक्षा की मुख्य धारा में स्त्रियों को सम्मिलित करने के लिए विद्यालयीय पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षणविधियाँ, शैक्षिक गतिविधिया, शिक्षकों का व्यवहार, आधारभूत सुविधाएं तथा विद्यालयीय वातावरण जेंडर आधारित रूढ़ियों से मुक्त होना चाहिए। जेंडर जागरूकता या समानता की दृष्टि से पुस्तकों का भी अवलोकन समय-समय पर अत्यन्त सर्तकता से होना आवश्यक है जिससे कोई उसमें अवांछित पाठ्यवस्तु न हो तथा उसको पढ़ने वाले छात्र दूसरे जेंडर के प्रति संवेदित हो सके एवं समानता एवं सहयोग की भावना का विकास हो। शिक्षा के द्वारा स्त्रियों में ज्ञान प्राप्ति व सूचना प्राप्ति की सजगता, प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं स्वयं के प्रति जागरूक दृष्टिकोण को विकसित करने का प्रयास किया जाता है जिससे वे केवल आर्थिक ही नहीं अपितु सामाजिक एवं मानसिक रूप से भी सशक्त हो सकें। शिक्षा एक मौलिक मानव अधिकार है और जेंडर समानता प्राप्त करने हेतु एक शक्तिशाली उपकरण है। एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज की नींव रखने के लिए यह आवश्यक है कि बालिकाओं को शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित हो। शिक्षित स्त्री सामाजिक रूढ़ियों को दूर करने और अपने समुदायों तथा समाज के विकास में सार्थक योगदान देने में समर्थ होती है। समय के साथ स्त्रियों की शैक्षिक स्थिति में परिवर्तन हो रहा है जो समाज के स्त्रियों के प्रति बदलते दृष्टिकोण का ही परिणाम है। गत तीन जनगणनाओं के आधार पर भारत की साक्षरता दर एवं स्त्री तथा पुरुष की साक्षरता का तुलनात्मक विवरण सारिणी-1 में दिया गया है-

सारिणी 1: 1951-2011 में भारत की साक्षरता दर **(**प्रतिशत में**)**

जनगणना वर्ष	कुल व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1991	52.21	64.13	39.29
2001	64.83	75.26	53.67
2011	74.04	82.14	65.46

- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) द्वारा National Curriculum Framework 2005 (NCF-2005) के निर्माण के समय "National Focus Group on Gender Issues in Education" का गठन किया गया था। इस फोकस समूह ने एक पोज़िशन पेपर (Position Paper) तैयार किया**,** जिसमें शिक्षा में लैंगिक असमानता की समस्याओं और उनके समाधान पर विचार प्रस्तुत किया गया। इसका उद्देश्य यह अध्ययन करना था कि लैंगिक असमानताएँ विद्यालयों में शिक्षा की पहुँच**,** सहभागिता तथा अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। साथ ही**,** इस समूह का लक्ष्य शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के उपाय सुझाना था। इसका मुख्य उद्देश्य पाठ्यक्रम**,** शिक्षण-पद्धति**,** पाठ्यपुस्तकों तथा शिक्षक-शिक्षा में लैंगिक संवेदनशीलता (Gender Sensitivity) को समाहित करना था**,** ताकि शिक्षा प्रणाली अधिक समानतामूलक और समावेशी बन सके।

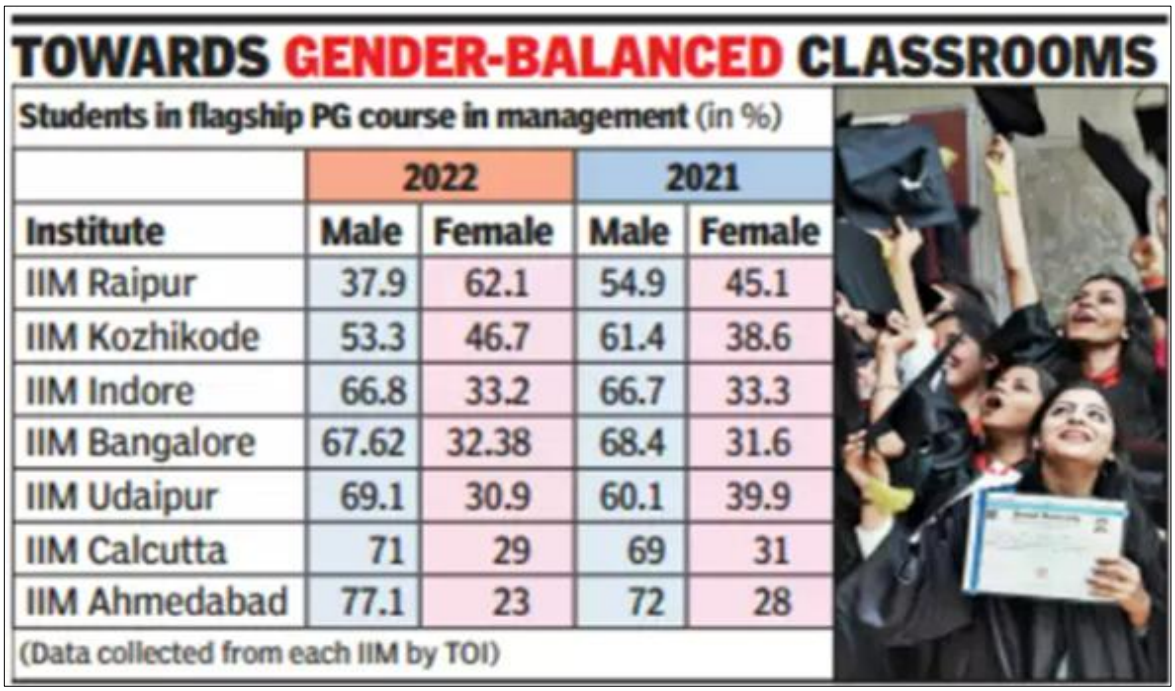

https://timesofindia.indiatimes.com/cited on 18/07/2022

चित्र 2: प्रबंधन संस्थानों में स्त्रियों की बढ़ती प्रतिभागिता

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जेंडर समानता और महिला सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न संस्तुतियाँ दी गई हैं। अध्याय 6 के पैराग्राफ 6.1 में कहा गया है कि लड़कियाँ सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDGs) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पैराग्राफ 6.2 में राज्यों के लिए Gender Inclusion Fund स्थापित करने की सिफारिश की गई है**,** ताकि लड़कियों तथा ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। पैराग्राफ 6.8 में विद्यालयों में सुरक्षित वातावरण**,** स्वच्छता सुविधाएँ**,** अलग शौचालय और छात्रावास जैसी व्यवस्थाओं की आवश्यकता बताई गई है। इसके साथ ही पाठ्यक्रम और शिक्षण-पद्धति में समानता**,** संवेदनशीलता और संवैधानिक मूल्यों को शामिल करने की बात अध्याय 4 में सामान्य रूप से कही गई है
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा *(NCF) 2023,* राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जेंडर समानता और समावेशी शिक्षा पर जोर देता है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी छात्रों ***(***छात्राओं और ट्रांसजेंडरों सहित***)*** को सुरक्षित और समान सीखने का माहौल प्रदान करना है। यह लैंगिक रूढ़ियों को दूर करने और पाठ्यपुस्तकों में समावेशी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने पर बल देता है। NCF 2023 में जेंडर समावेशन के अन्तर्गत लैंगिक संवेदनशीलता**:** शिक्षण-अधिगम सामग्री (TLM) और पाठ्यपुस्तकों को जेंडर-न्यूट्रल ***(***लैंगिक-तटस्थ***)*** बनाने पर जोर**,** बालिकाओं एवं ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना**,** वंचित समूहों की लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) को कक्षा 12 तक बढ़ाना**,** विद्यालयों में जेंडर समानता हेतु सुरक्षित तथा समावेशी बुनियादी ढ़ांचा विकसित करना इत्यादि व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने की बात करता है।

जेंडर जागरूकता एवं बदलते आर्थिक संदर्भ

शिक्षा के द्वारा स्त्रियों को जीविकोपार्जन के उचित अवसर उपलब्ध होते हैं। युवतियों को शिक्षा के साथ ही कौशल युक्त बनाना भी अत्यन्त आवश्यक है जिससे वे न केवल जीविकोपार्जन हेतु स्वयं को तैयार कर सकें अपितु स्वयं का व्यवसाय भी प्रारंभ कर सके तथा अन्य लोगों को रोजगार दे सकें। बालिकाओं की शिक्षा न केवल जेंडर समानता से संबंधित है; यह आर्थिक सशक्तीकरम का आधार भी है।

उत्तम शिक्षा उच्च वेतन, कार्य की उचित परिस्थितियों और अधिक आर्थिक अवसर प्रदान करती हैं। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की राह में प्रमुख स्तंभों में से एक है, कार्यबल में महिलाओं की कम से कम 70 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करना, ताकि वे भारत की विकास गाथा में समान हितधारक बन सकें। स्त्रियों को प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए, कई सरकारी योजनाएं विशेष रूप से स्त्रियों की वित्तीय स्वतंत्रता में सुधार लाने पर केंद्रित हैं। श्रम कानूनों में रोजगार को विनियमित करने और महिला श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के मकसद से कई प्रावधान शामिल किए गए हैं।

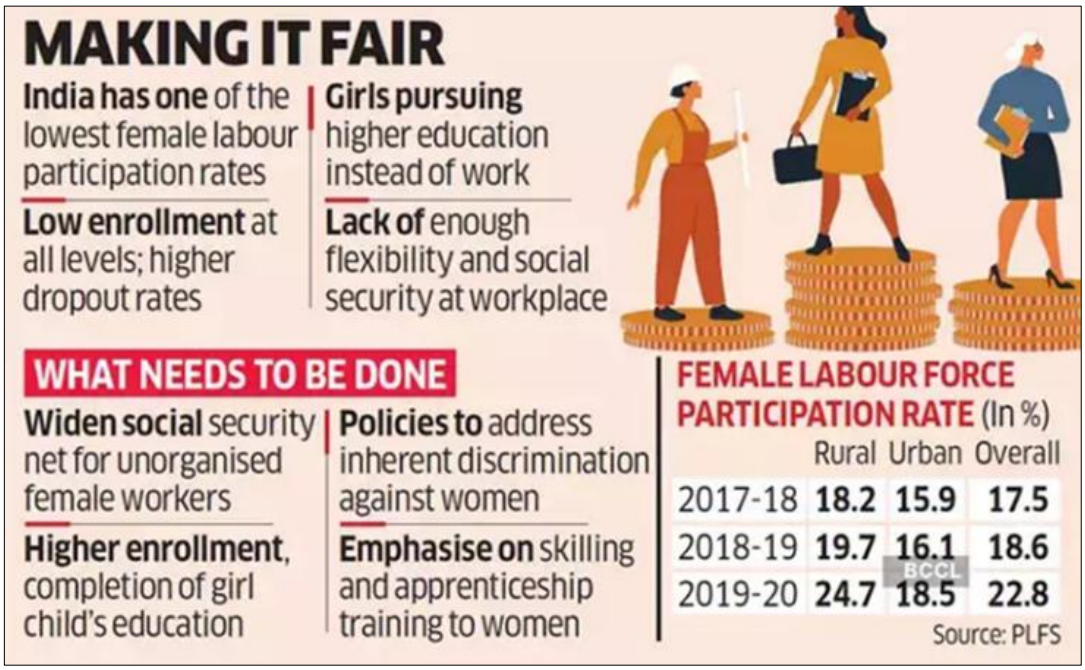

स्रोत- https://shorturl.at/pAPid/ cited on 8.11.2024

चित्र 3: कार्यस्थलों पर स्त्रियों की भागीदारी

इन सभी योजनाओं और प्रावधानों का ही परिणाम है कि भारत में महिला कार्यबल भागीदारी दर में खासी वृद्धि देखी गई है। 2017-18 से 2023-24 के बीच महिला रोज़गार दर करीब दोगुनी हो गई है। श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, महिला श्रम बल भागीदारी दर *(*एलएफपीआर*)* 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गई है।

कामकाजी और स्वयं को व्यवसाय वाली स्त्रियों को ऐसे लाभों और वित्तीय अवसरों का ज्ञान है परन्तु समाज का एक पढ़ा-लिखा वर्ग इन योजनाओं के लाभ से पूरी तरह से अनभिज्ञ भी हैं। अन्नपूर्णा योजना,भारतीय महिला बैंक *(*बीएमबी*)* व्यवसाय ऋण, महिला शक्ति केंद्र, महिला उद्यमियों के लिए महिला-ई-हाट, स्त्री शक्ति, ओरिएंट महिला विकास योजना योजना, मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया योजना, सुकन्या समृद्धि योजना इत्यादि अनेक योजनाएं हैं जो स्त्रियों के लिए सरकार ने प्रस्तुत की हैं। यद्यपि स्त्रियों की भागीदारी गत वर्षों की तुलना में बढ़ रही है तथापि इतनी योजनाओं के विपरित यदि देखा जाये तो स्त्रियों की कार्यस्थलों में भागीदारी अत्यन्त कम है।

जेंडर जागरूकता एवं बदलते राजनीतिक संदर्भ

विगत् कुछ वर्षों से स्त्रियों की मतदान प्रक्रिया में प्रतिभागिता बढ़ी है तथापि यह सर्वविदित है कि उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति का उनकी राजनीतिक सक्रियता पर विशेष प्रभाव होता है। साथ ही स्त्रियां अपनी राजनीतिक सक्रियता तथा रूचि को लेकर भी बहुत सजग होने लगी हैं। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना नगरीच क्षेत्रों में यह प्रवृत्ति अधिक दिखायी देती है।

73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर) में 33% आरक्षण मिला। यह संशोधन संसद द्वारा 1992 में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। इसी संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग IX (Panchayats) जोड़ा गया, जिसमें पंचायतों में महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। बिहार (2006 में पहला राज्य), उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 20 से अधिक राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया है। यह प्रावधान ग्रामीण स्तर पर निर्णय लेने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है।

राजनीतिक क्षेत्र में स्त्रियों की प्रतिभागिता में वृद्धि करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 संसद के दोनों सदनों से पारित होकर 27 सितंबर, 2023 को राष्ट्रपति की मंज़ूरी के बाद अधिनियमित किया गया जिसमें लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में स्त्रियों को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की गयी है। यह प्रावधान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा इससे भारत में स्त्रियों की राजनीतिक भागीदारी विश्व के अन्य देशों की तुलना अच्छी हो जायेगी। इसे वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसे परिसीमन के पश्चात् ही लागू किया जायेगा तथा अगला परिसीमन 2026 में होगा। तथापि वर्षों से चल रहे इस विधेयक को स्वीकृति मिलने के कारण राजनीतिक संदर्भ में स्त्रियों की प्रतभागिता का चित्र अवश्य ही परिवर्तित होगा।

जेंडर जागरूकता एवं बदलते सामाजिक संदर्भ

कुछ दशक पहले की ही बात है जब समाज में स्त्रियों के साथ कोई दुर्व्यवहार होता था तो उसके लिए स्त्रियों को ही उत्तरदायी माना जाता था। समाज में उन्हें हेत दृष्टि से देखा जाता था। परन्तु आज परिस्थितियां बदल गयीं हैं। आज यदि स्त्रियों के साथ किसी प्रकार की हिंसा होती है तो समाज स्त्री के साथ खड़ा हो जाता है। बदलती सामाजिक परिस्थितियों ने स्त्री को सम्मान के साथ जीने का अवसर तथा अधिकार प्रदान कर दिया है। आधुनिक समय में स्त्री भी अपने अधिकारों के लिए जागरूक है और अपने साथ होने वाले अत्याचार के विरूद्ध आवाज उठा रही है।

इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि POSH Act, 2013 (कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न: रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम) स्त्रियों के लिए एक सुरक्षित और समावेशी कार्य वातावरण सुनिश्चित करता है। वहीं संविधान का भाग IV, अनुच्छेद 39(d), राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले।अतः सरकारी नियम एवं नीतियां भी परिस्थितियों को बदलने की दिशा में बनाये जा रहे हैं।

आज स्त्रियों के लिए विकास के बहुत से मार्ग उपलब्ध हैं। स्त्रियों को इस योग्य बनने की आवश्यकता है कि वे समाज में सम्मान प्राप्त कर सकें। पुरुषों को साथ समानता का अधिकार पाने का प्रयास ही सम्मान दिला सकता है। यदि कोई स्त्री होने के कारण विशेषाधिकार चाहती है तो अधिकार मिल सकता है सम्मान नहीं।

जेंडर जागरूकता एवं बदलते पारिवारिक संदर्भ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, और इसे केवल कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही सीमित किया जा सकता है। संविधान में दिया गया जीवन का अधिकार केवल सिद्धांत नहीं है; यह समाज और राज्य को यह दायित्व देता है कि वे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की रक्षा करें। लेकिन वास्तविकता यह है कि केवल कानूनी अधिकार पर्याप्त नहीं होते; जब तक समाज में पितृसत्तात्मक सोच, पुत्र-प्राथमिकता, दहेज जैसी सामाजिक मान्यताएँ और आर्थिक कारण मौजूद रहते हैं, तब तक इन अधिकारों का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। यही कारण है कि भारतीय समाज में स्त्रियों के जन्म लेने के अधिकार को भी छीन लिया गया था इस गंभीर समस्या को रोकने के लिए सरकार ने Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (PCPNDT) Act, 1994 बनाया। इस कानून ने गर्भ में शिशु का लिंग बताने और लिंग चयन के आधार पर गर्भपात कराने को अपराध घोषित किया। परन्तु कानून के साथ-साथ शिक्षा, जागरूकता, जेंडर समानता की शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन भी अत्यन्त आवश्यक हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्त्री के लिए जीवन का अधिकार केवल कागज़ पर नहीं, बल्कि कानून, शिक्षा और सामाजिक चेतना के संयुक्त प्रयास से ही वास्तविक अर्थ में सार्थक बनता है जिसमें शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है।

भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005) बनाया गया है। यह अधिनियम 2005 में पारित हुआ और 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ। इस कानून का उद्देश्य महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, यौन और आर्थिक हिंसा से संरक्षण देना है।

ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि में जेंडर समानता तथा अधिकार एवं अवसर की दृष्टि से यदि सकारात्मक वातावरण है तो सामाजिक परिस्थितियां भी अनुकूल बनने लगती हैं। परिवार समाज की लघु इकाई है तथा संवेदनशीलता तथा दूसरों के प्रति तद्नुभूति एवं समानता का दृष्टिकोण यहीं से विकसित होता है जो समाज की ओर चलता फिर इसी दृष्टिकोण से राष्ट्र की छवि निर्मित होती है।

वर्तमान संदर्भ में यदि देखा जाये तो परिवार की विचारधारा में परिवर्तन के कारण सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता में वृद्धि हो रही है जिससे शिक्षा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो रही है। आर्थिक सशक्तता से निर्णय प्रक्रिया में स्त्रियों की प्रतिभागिता बढ़ रही है जिससे पारिवारिक कार्यों में निर्णय संबंधी भूमिकाओं में बढ़ोतरी हुई है। शिक्षित तथा आर्थिक रूप से सशक्त होने के कारण युवतियां अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए प्रयासरत है जिससे पारिवार की संरचना तथा विवाह की आयु में परिवर्तन हो रहा है। बदलती परिस्थितियों में स्त्रियों की स्वायत्तता में परिवर्तन हो रहा है। दोहरी आय के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही परन्तु स्त्रियों के दायित्व में वृद्धि हो गयी हैं। पारिवारिक कार्यों का दायित्व तो सदियों से उनके ऊपर रहा है परन्तु बदलते संदर्भों में बाहर के प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने अपनी प्रतिभागिता सफलतापूर्वक सिद्ध की है जिसके कारण उन्हें घर एवं कार्यालय दोनों स्थानों पर अपनी भूमिकाओं को सम्यक रूप से निभाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यह संघर्ष कई बार उनके स्वास्थ्य के लिए भी प्रतिकूल हो जाता है। तथापि बदलती परिस्थितियों के साथ ही पारिवारिक दायित्वों को सहयोगात्मक ढ़ंग से पूरा करने का प्रचलन धीरे-धीरे भारतीय परिवारों में भी प्रारंभ हो गया है जो जेंडर जागरूकता का उत्तम उदाहरण है।

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि समय परिवर्तन के साथ आधी आबादी के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। समाज की रूढ़ियों को तोड़ते हुए आज वह सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर अपने मत अभिव्यक्त करने के साथ ही निर्णयों में भी प्रतिभाग कर रही है। जीवन के सभी क्षेत्रों में वह पुरुषों से आगे निकल चुकी है क्योंकि पुरुष आज भी बाहर के कार्यों तक ही सीमित है परन्तु 21वीं सदी की स्त्री अपनी कार्यस्थल तथा परिवार के दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाते हुए अपनी योग्यता को सिद्ध कर रही है। परिवर्तित हो रही आवश्यकताओं के साथ सामाजिक संदर्भों में स्त्री की भूमिकाओं में व्यापक परिवर्तन हुआ है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. जेंडर, विद्यालय एवं समाज, दूर शिक्षा निदेशालय, महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा।
2. सिंह, निशांत, स्त्री सशक्तीकरम: एक मूल्यांकन, खुशी पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद, उ.प्र., 2012.
3. सिंह, राजबाला, मानवाधिकार एवं महिलाएं, आविष्कार पब्लिशर्स,ड्रिस्ट्रिब्यूटर्स, जयपुर, 2006.
4. अनामिका, स्त्रीत्व का मानचित्र, सारांश प्रकाशन, दिल्ली, 2001.
5. व्होरा आशारानी, औरत: कल, आज और कल, कल्याणी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, 2006.
6. Altekar AS. Education in ancient India. New Delhi: Gyan Publishing House, 2009.
7. Altekar AS. The position of women in Hindu civilization. Delhi: Motilal Banarsidass Publication, 1956.
8. Bhasin K. What is patriarchy? New Delhi: Raj Press; 1993.
9. Geetha V. Gender. Kolkata: Stree, An Imprint of Bhatkal and Sen, 2006.
10. Nayak K, editor. Gender equality. Mangalore: Centre for Women's Studies, Mangalore University, 2007.

11. Rao RK. Women and education. Delhi: Kalpaz Publication, 2001.
12. Roy R. Women, education and development. New Delhi: Neha Publishers and Distributors, 2009.
13. Pathak MS. Communication for gender sensitization: The value discussion approach. New Delhi: Concept Publishing Company, 2004.
14. Sharma A, et al. Women, education and empowerment. New Delhi: OM Publications, 2009.
15. Sharma N. Women and education: Issues and approach. New Delhi: Alfa Publication, 2006.
16. University Grants Commission. Saksham: Measures for ensuring the safety of women and programmes for gender sensitization on campuses. New Delhi: University Grants Commission.
17. Azim Premji University. Pathshala Issue 7 [Internet]. Available from: https://publications.azimpremjiuniversity.edu.in/2704/1/5_Pathshala%20-%20Issue%207-36-44.pdf [cited 2024 Nov 5].
18. TinyURL resource [Internet]. Available from: https://tinyurl.com/25x9yn4n [cited 2024 Nov 5].
19. United Nations. Gender equality [Internet]. Available from: https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/ [cited 2024 Nov 5].
20. Kotak Life. Financial benefits and government schemes every woman in India should know [Internet]. Available from: https://www.kotaklife.com/insurance-guide/government-schemes/financial-benefits-and-government-schemes-every-woman-in-india-should-know-in-hindi [cited 2024 Nov 5].
21. Directorate General of Employment. Female labour utilization in India [Internet], 2023. Available from: https://dge.gov.in/dge/sites/default/files/2023-05/Female_Labour_Utilization_in_India_April_2023_final__1_-pages-1-2-merged__1_.pdf [cited 2024 Nov 5].
22. Press Information Bureau. Press note details [Internet]. Available from: https://pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=151861&ModuleId=3&reg=3&lang=1 [cited 2024 Nov 8].
23. Bharatiya Janata Party. Kamal Sandesh October 2023 [Internet]. Available from: https://www.bjp.org/files/kamal-sandesh-documents/KS_HND_Oct_2023.pdf [cited 2024 Nov 8].
24. New India Samachar. Government publication [Internet]. Available from: https://newindiasamachar.pib.gov.in/WriteReadData/story/2023/Oct/S2023101616086.pdf [cited 2024 Nov 8].
25. Feminism in India Hindi. Gender as a social construct [Internet]. Available from: https://hindi.feminisminindia.com/2016/10/11/gender-social-construct-hindi/ [cited 2020 Jun 14].
26. Drishti IAS. Global gender gap report 2025 [Internet]. Available from: https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/global-gender-gap-report-2025 [cited 2026 Mar 27].
27. DD News. Increasing female participation in the workplace is the hallmark of a strong India [Internet]. Available from: https://ddnews.gov.in/increasing-female-participation-in-the-workplace-is-the-hallmark-of-a-strong-india/ [cited 2026 Mar 30].